न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक (राज.)

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :–64/2023 निर्णय दिनांक :– 05.03.2024

राजकुमार पुत्र श्योसिंह जाति मीणा उम्र बालिग निवासी कुरासिया तहसील टोड़ारायसिंह जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय न्यायालय में दिनांक 22.02.2024 को पेशी तारीख पर में पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 650 खसरा नम्बर 1740 रकबा 0.54 है० वाके ग्राम संथली पटवार हल्का संथली तहसील देवली जिला टोक राज० मे स्थित है। यह कि राजस्व रिकार्ड मे आराजी खसरा नम्बर 1617 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 1741 रकबा 0.64 है0 सिवायचक भूमि एवं खसरा नम्बर 1614 गै० मु0 सड़क दर्ज है। प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि पर गै०मु० सड़क खसरा नम्बर 1614 से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1617 एवं 1741 की पूर्वी दिशा की मेर पर से होकर आता जाता रहा है तथा उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा अपने कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी रास्ते से होकर लाता ले जाता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत मे जाने का अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकार्ड में आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा अपनी भूमि को काश्त नही कर पा रहा है। प्रार्थी को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये गै०मु० सड़क खसरा नम्बर 1614 से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1617 एवं 1741 की पूर्वी दिशा की मेर पर से होकर 30 फीट चोडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशी जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अ०धारा 251 ए राज० टीनेन्सी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी

भूमि खाता संख्या 650 खसरा नम्बर 1740 रकबा 0.54 है0 वाके ग्राम संथली पटवार हल्का संथली तहसील देवली जिला टोक राज० पर आने जाने के लिये गै०मु० सड़क खसरा नम्बर 1614 से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1617 एवं 1741 की पूर्वी दिशा की मेर पर से होकर 30 फीट चोडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी पर पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी में कृषि कार्य के लिए रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। हॉ, प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता रिकॉर्डेड रास्ते से जुडा हुआ है। प्रस्तावित रास्ते की खसरा नं0 1617 में लम्बाई 16 मी0 चौड़ाई 9.15 मी० अर्थात कुल 0.0146 है0 (146 वर्गमीटर) व ख0नं0 1741 में लम्बाई 56.04 मी0 एवं चौडाई 9.15 मी० अर्थात कुल 0.0513 है0 (513 वर्गमीटर) अर्थात कुल क्षेत्रफल 0.0659 है0 (659 वर्गमी.) भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। रास्ता चाहे जाने वाली भूमि की डीएलसी दर 4144651 रूपये प्रति हैक्टेयर है जिसकी एक गुना राषि 273133/– व दुगुनी प्रतिकर राषि 546266/– रूपये है। आवेदक की भूमि स्वंय की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी खसरा नं0 1617 व 1741 मे से रास्ता चाहता है जिसको नक्षा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई सरंचना, पेड इत्यादि नहीं है। आवेदक सिवायचक भूमि में से रास्ता चाहता है यदि आवेदक को अत्यधिक आवष्यकता होने पर रास्ता दिया जा सकता है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार से बहस सुनी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार देवली ने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना कि प्रार्थी के पास उसकी आराजी को रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है, प्रार्थी को अपने आराजी में पहुंचने हेतु सरकार से सिवायचक भूमि से रिकॉर्डेड रास्ता चाहिए ताकि प्रार्थी अपनी आराजी भूमि में आसानी से पहुंच सके और कृषि कार्य कर सके। प्रार्थी इसके लिए दुगनी प्रतिकर राशि जमा कराने

को तैयार है। अतः प्रार्थी को अपनी आराजी में पहुंचने के लिए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। चाहे तो न्यायालय 15 फीट रास्ता प्रदान कर दे ताकि प्रार्थी अपनी आराजी में पहुॅच सके।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब को ही बहस बताया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता अत्यन्त बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार व इत्यादि नही बताया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 1740 रकबा 0.54 है0 है। प्रार्थी की भूमि से पूर्व सिवायचक बंजड़ भूमि ख0नं0 1617 रकबा 0.55 है0 व 1741 रकबा 0.64 है0 दर्ज रिकॉर्ड है, जिसमें से प्रार्थी रास्ता चाहता है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट व बहस में सिवायचक भूमि से रास्ते बाबत् कोई आपति व्यक्त नहीं की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ते की खसरा नं0 1617 में लम्बाई 16 मी0 चौड़ाई 4.50 मी० अर्थात कुल 72 वर्गमीटर व ख0नं0 1741 में लम्बाई 56.04 मी0 एवं चौडाई 4.50 मी० अर्थात कुल 252.18 वर्गमीटर अर्थात कुल क्षेत्रफल 72+252.18= 324.18 वर्गमीटर क्षैत्रफल के रास्ते की तरमीम प्रार्थी द्वारा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि 268745.22/– अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि की गणना करवाकर, जमा करवाते हुये रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावें।

न्यायालय में निर्णय सरे इजलास दिनांक 05.03.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली, (टोंक)